न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 60/2016

1. जीत सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 4 वी हाल आबाद 21 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. भूरा सिंह
3. जगतार सिंह
4. अवतार सिंह

   पि. हाकम सिंह जाति रामगढ़िया निवासी प्रेमनगर अनूपगढ़
5. भिन्द्र सिंह
6. ज्ञान सिंह
7. जसविन्द्र कौर
8. सुखविन्द्र कौर
9. सर्वजीत कौर
10. जसवीर कौर

   पि. हाकम सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 4 वी हाल आबाद चक 21 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

——अपीलांट्स

बनाम

1. सुखेदव सिंह
2. जग्गा सिंह
3. बग्गा सिंह

   पि. अर्जन सिंह जाति रामगढ़िया (तरखान) निवासी 8 वी धन्नूर तह. श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. छिन्द्रपाल कौर पुत्री अर्जन सिंह
5. दलीप कौर पत्नी अर्जन सिह

   जाति रामगढ़िया तरखान नि. 8 वी धन्नूर

18/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

6. जसवीर कौर जौजा गुरमेल सिंह | जाति जटसिख निवासीगण
7. गुरविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह | 4वी तह. श्रीकरणपुर जिला
8. दलवीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह | श्रीगंगानगर
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर
दिनांक 18.06.2015 व 15.10.15

उपस्थितिः—
श्री गुरविन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री गुरप्रीत सिंह, अभिभाषक रेस्पों.
श्री इकबाल सिंह सिद्धू, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 18.08.17

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण / रेस्पों. सं. 1 ता 5 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष रा. का. अ. की धारा 88, 91, 92ए एवं एलआर एक्ट की धारा 136 के तहत पेश कर वादीगण के पिता अर्जन सिंह के नाम की भूमि में दुरूस्ती कर 8—43/60 हिस्सा भूमि वादीगण के नाम ब.हि.ब घोषित करके राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने व वादीगण को उक्त भूमि का मालिक घोषित करने का निवेदन किया । वाद पेश होने पर प्रतिवादी को तलब

18/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किये जाने के आदेश दिए गये । वकील वादी के प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाये जाने के आदेश दिए गए एवं पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2015 कैम्प कोर्ट 8 वी में पेश हुई एवं दिनांक 18.06.2015 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया एवं दिनांक 15.10.2015 को डिक्री जारी की गई । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 18.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई, अधीनस्थ न्यायालय में दावे के प्रतिवादीगण अपीलांट होकर जरिए अभिभाषक इस न्यायालय अवगत करवाया कि प्रकरण हाजा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय नं. सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण ही नहीं किया अपितु Whims आधारित दावा डिक्री किया है। दावे में तलबी नोटिस जारी होने के पश्चात् सीधे ही निर्णय कर दावा डिक्री कर दिया है। जबकि तलबी नोटिसेज जारी होने के पश्चात् सीपीसी के प्रावधानानुसार उसकी तामिली प्रकिया पूर्ण होना Mandatory था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.06.2014 पत्रावली तलबी एवं वारिसान पेश करने हेतु अगली तिथि 11.08.2014 को पेश हुई जो पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने की वजह से क्रमशः 22.09.2014, 12.11.2014, 09.12.2014, 09.01.2015, 12.03.2015, 30.04.2015, 03.06.2015 के नियत होकर दिनांक 18.06.2015 को सीधे ही

18/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय के लिए नियत होकर निर्णय किया गया जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को दूषित कर दिया, सीपीसी के प्रावधानानुसार तलबी नोटिस की विधिक तामिल होने पर प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति होने पर एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना कानूनी था, कानूनी प्रक्रियाओं में अगर विधिवत नोटिस तामिल होते तो जवाबदावा, तनकियात, साक्ष्य संग्रह, साक्ष्य विवेचन ही गुणावगुण निर्णय का आधार होना चाहिये जो नहीं हुआ, पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय में मात्र यह लिख देना कि प्रतिवादी इस पत्ते पर निवास नहीं करते तो सीपीसी की वैकल्पिक प्रक्रिया अपनानी चाहिये जो नहीं अपनाई।

अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलांट को अपना पक्ष रखने का मौका देना तो दूर, उन्हें अपना पक्ष रखने से रोका गया, यहीं नहीं उन्हें सुने बिना राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उनके हिस्से को भी कम किया जो एक तरह से Tempering of Record होकर आपराधिक कृत्य किया है। अपीलांट अभिभाषक के कथनों का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से मिलान किया गया जो सही पाया गया, अभिभाषक Respondent का कहना कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट को कोई कानूनी अनुतोष मिलता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से अपीलांट अभिभाषक के तर्क सहमत योग्य है । अतः अपील अपीलांट

18/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर, पुनः विधिक आदेश पारित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। साथ ही निर्णयकर्ता पीठासीन अधिकारी नेकराम नागर द्वारा प्रक्रियाओं नियमों की अवहेलना करने, तथा Tempering of Record के आरोप अपीलांट अभिभाषक ने लगाये हैं । उसका स्प्ष्टीकरण लेने हुए निर्णय के प्रति वर्तमान उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर को प्रेषित कर नेकराम के वर्तमान पदस्थापन पर तामिल करवा पालना रिपोर्ट 15 दिन में पेश करें कि क्यों नहीं नेकराम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भेजे जायें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

18/8/2017

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)